

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट माग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 मई, 2013 बैशाख 18, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या 13/12/93-का-1-2013 लखनऊ, 8 मई, 2013

> अधिसूचना प्रकीर्ण

सा0प० नि०-34

The state of the state of

संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 2013 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

FIGURE OF THE PARTY OF THE PARTY.

2—उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में, जिसे आगे उक्त नियमावली नियम–6 का प्रतिस्थापन कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

विद्यमान नियम

सेवा क संवर्ग 6— प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय—समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

रतम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)

सवा का सवग

6.(1) प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

रतम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में प्रत्येक श्रेणी के पदों और सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है।

(क) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहां ड्राइवर संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस या दस से अधिक हो, पदों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

| - | | |
|---------|--------------------------|---|
| क्र.सं. | पद का नाम | प्रतिशत के रूप में पदों की संख्या |
| 1. | ड्राइवर ग्रेड-4 | संवर्ग में पदों की कुल संख्या का तीस प्रतिशत |
| 2. | ड्राइवर ग्रेड-3 | संख्या का पच्चीस प्रतिशत |
| 3. | ड्राइवर ग्रेड-2 | संवर्ग में पदों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत |
| 4. | ड्राइवर ग्रेड-1 | संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत |
| 5. | ब्राइवर (विशेष ग्रेड) | संवर्ग में पदों की कुल संख्या का दस प्रतिशत |

(ख) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहां ड्राइवर संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस से कम हो, पदों का विभाजन निम्नवत् होगा:-

| | | -2 | | | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| | क्र.सं. | संवर्ग में पदों की संख्या | ड्राइवर ग्रेड-4 | द्राइवर ग्रेड–3 | ड्राइवर ग्रेड–2 | ब्राइवर ग्रेड–1 | ड्राइवर (विशेष ग्रेड) | |
| | | | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Harried Street | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 2 2 | 1072-5 | - | _ | |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | | - | | |
| | 3 | 3 | 1 3 | 1 | 1 | - | | |
| | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 ' 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | 9 | 9 | 2 | 2 | _ | 4 | | |

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

THE TYPE IS SELECT

रतम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रमावी)

परन्तु यह कि उपर उल्लिखित पुनर्सरचना के परिणाम स्वरूप निम्नतर ग्रेड के पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को ज्येष्टता और उपयुक्तता के आधार पर उच्चतर ग्रेड के पदों पर केवल एक बार के लिए समायोजित किया जायेगा और उच्चतर ग्रेड के पदों पर इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा :

परन्तु अग्रतर यह कि:-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या
 - राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

नियम-7 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

भर्ती का स्रोत 7- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी

- (1) ड्राइवर ग्रेड-4
 - (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती (1) ड्राइवर ग्रेड-4 द्वारा।
 - (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरों और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आढवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो:

परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)

भर्ती का स्रोत

7- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:

- - (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।
- (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनरों और समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति

परन्तु यह कि यदि पदोन्नित हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

(2) ड्राइवर ग्रेड-3

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नित

(3) ड्राइवर ग्रेड-2

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 और ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नित

(4) ड्राइवर ग्रेड-1

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी- उपखण्ड (2) और (3) में निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यकम ऐसा होगा किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नित द्वारा। (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यकम शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-433 / दस-2005-44 / 2001 - टी.सी., दिनांक 11 मई, 2006 और शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1057 / दस-2008, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 में विहित किया गया है।

नियम-10 का प्रतिस्थापन

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

10- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है आयु कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जांय कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की

स्तम्म-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रमावी)

(2) ड्राइवर ग्रेड-3

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नित द्वारा।

(3) ड्राइवर ग्रेड-2

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 और ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नित द्वारा।

(4) ड्राइवर ग्रेड-1

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(5) ड्राइवर (विशेष ग्रेड)

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-1 में से, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित ' जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

10- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जांय कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

विद्यमान नियम

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

5-उक्त नियमावली में, नियम-22 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

नियम-22 का संशोधन

विद्यमान उप-नियम

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम (2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय वेतनमान संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं:—

| पद का | वेतनमान | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| नाम | वेतन बैण्ड का नाम | तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू. में) | तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू. में) | | |
| (1) ड्राइवर ग्रेड-4 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 1900 | | |
| (2) ड्राइवर ग्रेड-3 | बेण्ड-1 | 5200-20200 | 2400 | | |
| (3) ड्राइवर ग्रेड-2 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2800 | | |
| (4) ड्राइवर ग्रेड–1 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4200 | | |

the street to and married temp to any self-treet.

THE PROPERTY OF PERSONS.

| पद का नाम | वेतनमान | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| | वेतन बैण्ड का नाम | तत्सदृश वेतन बैण्ड (रूपया) | तत्सदृश ग्रेड वेतन (रूपया) | | |
| (1) ड्राइवर ग्रेड-4 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 1900 | | |
| (2) ड्राइवर ग्रेड-3 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2400 | | |
| (3) ड्राइवर ग्रेड-2 | वेतन बैण्ड-1 | 5200-20200 | 2800 | | |
| (4) ड्राइवर ग्रेड-1 | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4200 | | |
| (5) ड्राइवर (विशेष ग्रेड) | वेतन बैण्ड-2 | 9300-34800 | 4600 | | |

आज्ञा से, राजीव कुमार, प्रमुख सचिव।

COLUMN-1 Existing rule

THE PARTY OF THE ARMS " WE READ THE ONE OF THE

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

to I will the party of the later and the later of

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Perhatik erreini manriaga erreinin

The state of the s

- I will be the beautiful to the transfer

COLUMN-2

Rule as hereby substituted (With effect from June 14, 2012)

The Government Department or Office where the total number of posts in the Driver Cadre is less than ten, the division of posts shall be as follows:-

| | post | 5 Shaii | uc as i | Wollon | 3. | | |
|---------|-------------|--|---------|--------|-----|---------------------------|---------------------------|
| | rial No. | Num- ber of posts in the cadre | ver | ver | ver | Dri ver Gra de-1 | Dri ver (Spe- cial Grade) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 1. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 4. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 5. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 (3) | 6. | 6 | 2 | 1 | 1 | _1 | 1 |
| | 7. | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 8. | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 9. | 9 | 3 | 2 . | 2 | 1 | 1 |

Provided that, as a consequence to the aforementioned restructuring, the persons working on the posts of lower grades shall be adjusted on the posts carrying higher grades only as a one time measure on the basis of seniority and suitability and their pay fixation on the posts of higher grades shall be made in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard:

Provided further that:

- the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or
- (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

3. In the said rules, for existing rule 7 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

rule 7

Substitution of

COLUMN I

Existing rule

Source of recruitment

- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-
- (1) Driver Grade-4 sources:-
- (i) 80 percent posts by direct (1) Driver Grade-4recruitment.
- 20 percent posts by recruitment. (ii)promotion substantively appointed Cleaners from amongst substantively

COLUMN 2

Rule as hereby substituted (With effect from June 14, 2012)

Source of recruitment

- 7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following

 - (i) 80 percent posts by direct
- from amongst (ii) 20 percent posts by promotion

COLUMN 1 Existing rule

Group "D" employees who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment and have a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years and must have passed class VIII examination from a recognised educational Institution:

Provided that if the feeding cadre or the eligible persons in the feeding cadre are not available for promotion, such vacancies shall be filled through direct recruitment under sub-clause (i).

(2) Driver Grade-3

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-4 who have completed nine years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the prescribed trade test.

(3) Driver Grade-2

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-3 who have completed six years substantive service on the post of Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment or, taken together, have completed a total fifteen years substantive service on the posts of Driver Grade-4 and Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment and have passed the prescribed trade test. (4) Driver Grade-1-.

(4) Driver Grade-1

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-2 who have completed three years substantive service on the post of Driver Grade-2 on the first day of the year of recruitment.

NOTE- The syllabus for the trade tests referred to in clauses (2) and (3) above shall be such as may be prescribed by the Government from time to time. At the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009, the syllabus for the said trade tests is prescribed in the Government order no. Va-Aa-2-433/Ten-2005-44/2001T.C., dated May 11, 2006 and Government order no. Va-Aa-2-1057/Ten-2008, dated October 18, 2008.

COLUMN 2

Rule as hereby substituted (With effect from June 14, 2012)

appointed Cleaners and Group employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years and must have passed class VIII examination from a recognised educational Institution:

Provided that if the feeding cadre or the eligible persons in the feeding cadre are not available for promotion, such vacancies shall be filled through direct recruitment under sub- clause (i).

(2) Driver Grade-3-

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-4 who have completed nine years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Driver Grade-2-

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-3 who have completed six years substantive service on the post of Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment or, taken together, have completed a total fifteen years substantive service on the posts of Driver Grade-4 and Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment.

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-2 who have completed three substantive service on the post of Driver Grade-2 on the first day of the year of recruitment.

(5) Driver (Special Grade)-

promotion By from amongst substantively appointed Drivers Grade-1 who have completed one year's service as such on the first day of the year of recruitment.

the Late of the La

4. In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Substitution of rule 10

COLUMN 1

Existing rule

Age

candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment advertised are notified:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

COLUMN 2

Rule as hereby substituted

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised or notified:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

5. In the said rules, in rule 22, for existing sub-rule (2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 22

COLUMN 1

Existing sub-rule

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009 are given as follows:-

| Name of | Scale of pay | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|--|--|
| posts | Name of Pay Band | Corres- ponding Pay Band (Rs.) | Corres- | | |
| (1)Driver Grade-4 | Pay Band-1 | 5200- 20200 | 1900 | | |
| (2)Driver Grade-3 | Pay Band-1 | 5200- 20200 | 2400 | | |
| 120 120 120 | Pay Band-1 | 5200- 20200 | 2800 | | |
| | | 9300- 34800 | 4200 | | |

COLUMN 2

Sub-rule as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (Third Amendment) Rules, 2013 are given as follows:-

| Name of | | Scale of pay | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| post | Name of Pay Band | | Corresponding Grade Pay (Rs.) | | | | |
| (1)Driver Grade-4 | Pay Band-1 | 5200-20200 | 1900 | | | | |
| (2)Driver Grade-3 | Pay Band-1 | 5200-20200 | 2400 | | | | |
| (3)Driver Grade-2 | Pay Band-1 | 5200-20200 | 2800 | | | | |
| (4)Driver Grade-1 | Pay Band-2 | 9300-34800 | 4200 | | | | |
| (5)Driver Special Grade) | Pay Band-2 | 9300-34800 | 4600 | | | | |

By order, RAJIV KUMAR, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 116 राजपत्र-(हिन्दी)-2013-(223)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० नियुक्ति-2013-(224)-4000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।